समाहरणालय, दरभंगा

[जिला गोपनीय शाखा]

आदेश

1. सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1122 दिनांक 07.10.2016 के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालों में उर्दू एवं बंगला शिक्षकों के नियोजन हेतु जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर कैम्प आयोजित कर नियोजन की कार्रवाई पूरा करने का निदेश प्राप्त है।

2. दरभंगा जिलान्तर्गत प्रारंभिक विद्यालयों, में नियोजन की कार्रवाई पूरी करने के लिए कैम्प लगाने हेतु निम्नांकित रूप से तिथि निर्धारित की गई है।

(क)

दरभंगा जिला के प्रारंभिक शिक्षकों (उर्दू एवं बंगला विषय) के लिए नियोजन हेतु कैम्प आयोजन का कार्यक्रमः

क्र. सं.	जिला का नाम	कैम्प आयोजन की तिथि एवं स्तर	कैम्प लगाने वाले नियोजन इकाई का प्रकार	कैम्प आयोजन की तिथि एवं स्तर	कैम्प लगाने वाले नियोजन इकाई का प्रकार
1.	दरभंगा	14.11.2016 जिला स्तर पर	नगर परिषद, बेनीपुर	–	–
2.	दरभंगा	16.11.2016 जिला स्तर पर	सभी प्रखण्ड नियोजन इकाई (स्नातक एवं बेसिक ग्रेड के लिए)	18.11.2016 प्रखण्ड स्तर पर	सभी पंचायत नियोजन इकाई

(ख)

जिलावार प्रारंभिक शिक्षकों (उर्दू एवं बंगला विषय) के लिए कैम्प स्थल (स्नातक एवं बेसिक ग्रेड के लिए)

क्र.सं.	दिनांक एवं समय	कैम्प स्थल का नाम	प्रखण्ड का नाम
1.	14.11.2016 10:30 बजे से 4:30 बजे तक	आदर्श म.वि. लहेरियासराय	नगर परिषद, बेनीपुर
1.	16.11.2016 समय पूर्वाह्न 10:30 बजे से 4:30 बजे तक	+2 एम.एल.एकेडमी, लहेरियासराय, दरभंगा।	दरभंगा सदर, सिंघवाड़ा, केवटी, मनीगाछी, तारडीह, हनुमान नगर एवं हायाघाट।
2.		+2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय लहेरियासराय, दरभंगा।	कु.स्थान, कु.स्थान पूर्वी, अलीनगर, बेनीपुर, घनश्यामपुर, किरतपुर, गौड़ा बौराम एवं बिरौल।
3.		+2ब्रजकिशोर धरनीधर रा.बा.उ.वि. (जिला स्कूल) लहेरियासराय, दरभंगा	बहेड़ी, जाले एवं बहादुरपुर

3. उक्त कैम्प की तिथि को संबंधित नियोजन इकाई के अध्यक्ष, सदस्य सचिव एवं अन्य सभी सदस्य पूर्वाह्न 10:00 बजे से नियुक्ति की कार्रवाई पूरी होने तक कैम्प स्थल पर उपस्थिति रहेंगे तथा कैम्प में चयनित अभ्यर्थियों को उसी दिन नियुक्ति पत्र निर्गत कर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. संबंधित नियोजन इकाई कैम्प के आयोजन की तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व मेधा सूची का प्रकाशन करके एन.आई.सी. के वेवसाईट पर अपलोड करेंगे, जिसमें इकाईवार मेधासूची, कोटिवार, विषयवार रिक्ति की सूचना शामिल होगी। कैम्प स्थल की सूचना भी एन.आई.सी. के वेवसाईट पर अपलोड करना अनिवार्य है।

5. श्री विवेकानन्द झा (उप विकास आयुक्त), दरभंगा जिला स्तर पर आयोजित कैम्प का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे। प्रखण्ड के लिए प्रभारी वरीय पदाधिकारी, प्रखण्ड स्तरीय कैम्प का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे। अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के क्रम में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र कैम्प स्थल पर ही उपलब्ध करा दिया गया है। प्रत्येक दिन संबंधित प्रखण्ड के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा समीक्षा खैरियत प्रतिवेदन उस दिन की कार्रवाई के उपरान्त जिला गोपनीय शाखा में उसी दिन जमा करेंगे। श्री विवेकानन्द झा (उप विकास आयुक्त) द्वारा भी खैरियत प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाएगा।

6. जिला स्तरीय कैम्प स्थल पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), दरभंगा के द्वारा कराई जाएगी एवं इसी प्रकार प्रखण्डस्तरीय कैम्प पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।

7. प्रखण्ड स्तर पर आयोजित कैम्प के लिए स्थल का निर्धारण संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा संबंधित प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के सहयोग से की जाएगी। कैम्प की अन्य व्यवस्था यथा रजिस्टर, कुर्सी, टेबुल तथा ध्वनि विस्तारक इत्यादि की व्यवस्था जिला स्तरीय कैम्प में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), दरभंगा एवं प्रखण्ड स्तरीय कैम्प के लिए संबंधित प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी करेंगे।

8. कैम्प के आयोजन के कम से कम तीन दिन पूर्व संबंधित प्रखण्ड के वरीय उप समाहर्त्ता अपनी अध्यक्षता में प्रमुख, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव एवं नियोजन समिति के अन्य सदस्यों के साथ बैठक कर के कैम्प आयोजन की तैयारी की समीक्षा कर लेंगे एवं ससमय सभी नियोजन इकाई कैम्प स्थल पर पहुँचे इसे सुनिश्चित करेंगे।

9. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर जिला स्तरीय आयोजित कैम्प स्थल पर दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे ताकि किसी प्रकार की विधि व्यवस्था तथा असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न न हो। संबंधित थानाध्यक्ष पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं चौकीदार प्रतिनियुक्त करेंगे एवं स्वयं भी विधि व्यवस्था पर नजर रखेंगे।

10. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल एवं अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर अपने क्षेत्राधीन प्रखण्डों में आयोजित कैम्प स्थलों पर विधि व्यवस्था एवं शान्तिपूर्ण नियोजन प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए दण्डाधिकारी एवं आवश्यक संख्या में पुलिस बल प्रतिनियुक्त करेंगे तथा वे सुनिश्चित करेंगे कि सभी कैम्प स्थलों पर कैम्प का

आयोजन एवं शिक्षक नियोजन की कार्रवाई शान्तिपूर्वक ढंग से उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न हो जाय।

11. सचिव, शिक्षा विभाग के पत्रांक 1122 दिनांक 07.10.2016 की प्रति संलग्न है।

12. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), दरभंगा श्री संग्राम सिंह (मोबाईल नं. -9835432478) को उक्त कार्यक्रमों के आयोजनार्थ नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। वे कैम्प आयोजन मेधासूची के प्रकाशन इत्यादि हेतु नियोजन इकाई से समन्वय करके नियुक्ति की कार्रवाई में सहयोग करेंगे।

13. संबंधित प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी प्रखण्ड स्तरीय कैम्प के आयोजन की तिथि को कैम्प स्थल पर उपस्थित रहेंगे और नियुक्ति की कार्रवाई को सुचारू रूप से सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित वरीय प्रभारी पदाधिकारी प्रत्येक दिन खैरियत प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उसी दिन समर्पित करेंगे।

जिलाधिकारी
दरभंगा

ज्ञापांक 4194 स्था० दरभंगा, दिनांक 11-11-2016

प्रतिलिपि- वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। वे अपने स्तर से कैम्प स्थलों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करेंगे।

प्रतिलिपि- मुख्य पार्षद, नगर परिषद, बेनीपुर एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बेनीपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दरभंगा एवं सभी थानाध्यक्ष, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी प्रखण्ड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड के प्रखण्ड प्रमुख/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/कार्यक्रम पदाधिकारी/ सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रधानाध्यापक आदर्श म.वि. लहेरियासराय/प्रधानाध्यापक +2 एम.एल.एकेडमी, लहेरियासराय, दरभंगा/+2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय लहेरियासराय, दरभंगा/ +2 ब्रजकिशोर धरनीधर रा.बा.उ.वि. (जिला स्कूल) लहेरियासराय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि वे कैम्प की तिथि को स्वयं उपस्थित रहेंगे एवं व्यवस्था में सहयोग करेंगे।

प्रतिलिपि- वरीय उप समाहर्त्ता/उप विकास आयुक्त दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी
दरभंगा